# यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 89/2025

नवान : –

1. उधम सिंह पुत्र शमशेर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।

वादी

बनाम

1. शमशेर सिंह पुत्र मंहगा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।
2. हरनेक सिंह पुत्र मंहगा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।
3. चरनजीत कौर पत्नी मंहगा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।
4. जसबीर कौर पुत्री मंहगा सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी लहरावाली ढाणी त0 रानिया जिला सिरसा।
5. रणजीत सिंह पुत्र शमशेर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला त0 टिब्बी।

प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :– श्री विकास शर्मा **वादी**
श्री जेपी शर्मा, निर्माण सिंह प्रतिवादी

**निर्णय** दिनांक: 23/4/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 सीडीआर के खाता सं0 163/52 की कुल 0.253है0, चक 12 सीडीआर के खाता सं0 162/163 की कुल 0.138है0 व इसी चक 12 सीडीआर के खाता सं0 160/174 की कुल 0.253है0 में 1/8 हिस्सा मंहगा सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से षासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। उक्त वाद भूमि में घरू बंटवारा के दौरान प्रतिवादी सं0 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि जरिये दान व डिक्री से स्व0 मंहगा सिंह से पूर्व में प्राप्त कर ली थी तथा प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हक हिस्सा की समस्त भूमि के एवज में वादी से नकद राशि प्राप्त कर ली थी तथा प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने मुताबिक घरू बंटवारा अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया। अतः वादी अपने हक हिस्साकी भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने दावा की सभी मंद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत किया। साक्ष्य वादी

सहायक कलेक्टर

में वादी उधमसिंह के द्वारा षपथ पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान जमाबंदी चक 12 सीडीआर प्रदर्श 1 ता 3, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है मुताबिक अनुतोष एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावा के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जावें। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रोही मौजा चक 12 सीडीआर के खाता सं0 163/52 की कुल 0.253है0, चक 12 सीडीआर के खाता सं0 162/163 की कुल 0.138है0 व इसी चक 12 सीडीआर के खाता सं0 160/174 की कुल 0.253है0 में 1/8 हिस्सा मंहगा सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 ता 3 से उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने वाद भूमि से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर षून्य कर लिया है। प्रदर्श 4 के मुताबिक स्व0 मंहगा सिंह के अन्य वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक जवाबदावा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 सीडीआर के खाता सं0 163/52 की कुल 0.253है0, चक 12 सीडीआर के खाता सं0 162/163 की कुल 0.138है0 व इसी चक 12 सीडीआर के खाता सं0 160/174 की कुल 0.253है0 में 1/8 हिस्सा मंहगा सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में महंगा सिंह पुत्र श्री लाल सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)